# बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0 2, पटना 800001

## कार्यालय आदेश

बिहार राज्य खाद्य निगम के सफल संचालन हेतु सहायक लेखा पदाधिकारी के रिक्त पद को भरने हेतु राज्य सरकार/केन्द्र सरकार एवं राज्य/केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों/निगम से सेवानिवृत कर्मियों को संविदा पर नियोजन हेतु विज्ञापित कर विभिन्न शर्तो पर आवेदन पत्र की मांग की गयी थी।

प्राप्त आवेदन पत्रों तथा अर्हता पूरा करने वाले निम्नलिखित सेवा निवृत कर्मियों का दिनांक-09.12.2017 एवं 11.12.2017 को हुए Walk-in-Interview के पश्चात सहायक लेखा पदाधिकारी के पद पर संविदा पर चयन किया गया है। इनकी नियुक्ति संविदा पर योगदान की तिथि से 11 माह के लिए होगी। इनका कार्यकलाप संतोषप्रद पाये जाने पर इनकी अवधि विस्तार एवं पुनः संविदा पर विचार किया जा सकता है।

| क्र0 | सहायक लेखा पदाधिकारी (संविदा) का नाम | मूल विभाग | गृह जिला |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री सदन प्रसाद सिंह | वरीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक | नालन्दा |

शर्तें-

1. सभी चयनित अभ्यार्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक-12.01.2018 तक बिहार राज्य खाद्य निगम, खाद्य भवन, निगम मुख्यालय, पटना में योगदान करेंगे। इसके लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
2. अभ्यार्थियों द्वारा दिये गये कोई भी कागजातों में गड़बड़ी पायी जाती है तो संबंधित अभ्यार्थियों की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।
3. उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वही मानदेय के रूप में देय होगा।
4. इनके द्वारा किये जाने वाले कार्यो की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
5. संविदा पर कार्यरत ऐसे किसी कर्मी के विरूद्ध अनुशासनिक/अपराधिक मामला, क्षति/गबन का मामला पाये जाने पर उनकी संविदा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
6. इनके द्वारा "बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम" के अन्तर्गत एकरारनामा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. इनके द्वारा की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में "बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम" के सुसंगत प्रावधानों के अधीन किया जायेगा।
8. संविदा पर निगम की सेवा छोड़ने के पूर्व निगम को एक माह का अग्रिम नोटिस दिया जाना अनिवार्य होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में उन्हें निगम को एक माह का मानदेय एक मुश्त भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह राशि "बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन वसूलनीय होगी।

प्रबंध निदेशक के आदेश से।

ह0/-

उप महाप्रबंधक,प्रशासन

ज्ञापांकः-3:02:200:01:17 दिनांक-

प्रतिलिपि-मुख्य महाप्रबंधक,जन वितरण/अधिप्राप्ति/सभी महाप्रबंधक/ सभी उप महाप्रबंधक/विपत्र लिपिक/प्रबंध निदेशक कोषांग,निगम मुख्यालय,पटना एवं सभी जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मेल/वेब

ह0/-

उप महाप्रबंधक,प्रशासन

ज्ञापांकः-3:02:200:01:17 193 दिनांक- 8/1/18

मेल/वेब

प्रतिलिपि-श्री सदन प्रसाद सिंह, पता-पिता-स्व0 आदेश्वर सिंह, ग्रा0-बहादुरपुर पो0-गिलानी था0-सारे,भाया-बरबीघा जिला-नालन्दा-811101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रभारी नियंत्रण कक्ष को निदेश है कि निगम के बेवसाईट पर लोड करना सुनिश्चित करें ताकि सफल अभ्यर्थियों तक सूचना प्राप्त हो सके।

8/1/18

उप महाप्रबंधक,प्रशासन